"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 जनवरी 2019 — पौष 20, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 जनवरी, 2019 (पौष 20, 1940)

क्रमांक-313/वि. स./विधान/2019 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019), जो गुरुवार, दिनांक 10 जनवरी, 2019 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 2 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला (संशोधन) विधेयक, 2019

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006 (क्र. 22 सन् 2006) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार ऐसे क्षेत्र पर होगा जिसे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर राजपत्र में राजिम कुंभ (कल्प) मेला क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाये.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मूल अधिनियम का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) में,-

(क) प्रस्तावना में, शब्द "कुंभ (कल्प) मेला" के स्थान पर, शब्द "माघी पुन्नी मेला" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) धारा 1 की उप-धारा (1) में, संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006" के स्थान पर, संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ग) जहां कहीं भी शब्द "कुंभ (कल्प) मेला" आया हो, के स्थान पर, शब्द "माघी पुन्नी मेला" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 2 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम में, धारा 2 में, खण्ड (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(7) "मेला" से तात्पर्य है, राजिम में प्रतिवर्ष होने वाला माघी पुन्नी मेला;"

उद्देश्य और कारणों का कथन

राजिम मेला के आयोजन से छत्तीसगढ़की संस्कृति एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है तथा राजिम मेले को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन का अवसर मिला है. इसका आयोजन हर वर्ष माघ महिने की पूर्णिमा के अवसर पर होता है. यह आम भाषा में माघी पुन्नी मेला के नाम से ख्यात है.

पूर्वकाल से ग्रंथों में केवल चार कुंभ का नाम उल्लिखित है, पांचवा कुंभ शास्त्र सम्मत नहीं है, अतएव छत्तीसगढ़ के निवासियों की जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये, छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006 (क्र. 22 सन् 2006) में संशोधन करने की अनुशंसा समुचित प्रतीत होती है.

अतएव, छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006 (क्र. 22 सन् 2006) के प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 9 जनवरी, 2019

ताम्रध्वज साहू
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) के शीर्षक, प्रस्तावना, धारा 1 की उप-धारा (1) एवं (2) तथा धारा 2 की उप-धारा (7) का सुसंगत उद्धरण

1. शीर्षक :- छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006

2. प्रस्तावना :- राजिम कुंभ मेले में उचित प्रबंधन उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम.

3. धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ की उप धारा (1) एवं (2)-

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006" होगा.

(2) यह ऐसे क्षेत्र पर लागू होगा जो समय-समय पर शासन द्वारा राजपत्र में राजिम कुंभ मेला क्षेत्र अधिसूचित किया जाये.

4. धारा 2 - परिभाषाएं - उप-धारा (7) -

(7) "मेला" से तात्पर्य है, प्रतिवर्ष होने वाला राजिम का कुंभ मेला तथा 12 वर्ष में एक बार होने वाला राजिम का महाकुंभ मेला,

(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.